बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०–9/आ०–03–06/2024(स्वा०) 956(9) /पटना, दिनांक:– 18.8.25

सिविल सर्जन, सुपौल के पत्रांक–3284 दिनांक–22.12.2023 द्वारा डॉ० सतीश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्वालापाड़ा, छातापुर, सुपौल दिनांक–14.09.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित की गयी। प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय ज्ञापन सं०–718(9) दिनांक–09.08.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित किया गया।

2. विभागीय संकल्प सं०–1028(9) दिनांक–17.10.2024 द्वारा डॉ० कुमार के विरूद्ध गठित आरोप आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप पत्र में गठित आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया हैं। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–1404(9) दिनांक–31.12.2024 द्वारा डॉ० कुमार से द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) की माँग की गयी।

3. डॉ० कुमार द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) समर्पित करते हुए अवगत कराया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं०–1190(2) दिनांक–02.09.2021 के आलोक में डॉ० कुमार द्वारा दिनांक–09.09.2021 को प्रभार ग्रहण किया गया। उनके माता जी Addisons Ds से ग्रसित होने के कारण वे दिनांक–14.09.2022 से कर्त्तव्य पर अनुपस्थित हो गए। उनकी माता जी AIIMS, दिल्ली में ईलाजरत थी। इसी क्रम में उनकी माँ की पैर फिसलने के कारण कलाई टुट गयी। पारिवारिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण उनके पिता जी का तबीयत खराब हो गया। डॉ० कुमार के प्रत्युत्तर में अंकित किया है कि वे दिनांक–14.09.2022 तक नियमित रूप से कर्त्तव्य पर उपस्थित थे।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर को सम्यक् समीक्षा की गयी, जिसमें उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सीय पर्ची से ज्ञात होता है कि वे दिनांक–12.09.2022 को अनुमंडलीय अस्पताल, फारबिसगंज, अररिया में ईलाज करवा रहे थे। उनके माँ का ईलाज दिनांक–26.04.2023 को AIIMS, दिल्ली में किया जा रहा था। इससे परिलक्षित होता है कि डॉ० कुमार द्वारा बीमारी का हवाला देकर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित अवधि को अपरिहार्य कारण बताने का प्रयास किया जा रहा है। फलतः डॉ० कुमार के विरूद्ध दिनांक–14.09.2022 से 12.08.2024 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(Vi) के अधीन संचयी प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने एवं आलोच्य अवधि को किसी भी प्रयोजन हेतु गणना नहीं करने का विनिश्चय किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–456(9) दिनांक–16.05.2025 एवं 697(9) दिनांक–25.06.2025 के द्वारा उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–2049 दिनांक–07.08.2025 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

18/08/2025

6. अतएव डॉ० सतीश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्वालापाड़ा, छातापुर, सुपौल के विरूद्ध दिनांक–14.09.2022 से 12.08.2024 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(Vi) के अधीन संचयी प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक एवं आलोच्य अवधि को किसी भी प्रयोजन हेतु गणना नहीं करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्र ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/08/2025

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–03–06/2024(स्वा0) 946(9) /पटना, दिनांकः– 18-8-25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/08/2025

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–03–06/2024(स्वा0) 946(9) /पटना, दिनांकः– 18-8-25

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें कोशी प्रमंडल, सहरसा/सिविल सर्जन, सुपौल/जिला पदाधिकारी, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० सतीश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्वालापाड़ा, छातापुर, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

18/08/2025

सरकार के अवर सचिव।